13/8/20 : वकील/राजपैरोकार उप0। पत्रावली में अप्रार्थी का जवाब पेश हो चुका है तथा अप्रार्थी का नाम शुद्ध किये जाने की अभिशंषा की है। पत्रावली में पत्रजात के अवलोकन/ राजपैरोकार को सुना गया। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 25/8/20 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) [illegible] जिला नागौर

25/8/20 :

[illegible]कार/पक्षकारान के [illegible]
पीठासीन अधिकारी की मिटिंग में/[illegible]
अवकाश पर [illegible] उपस्थित [illegible]
उनके समक्ष [illegible]
[illegible] करें। 4/9/20

4/9/20 : वकील प्रार्थी उप0। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 RLR Act. स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल किया गया। मिसल अपने नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) [illegible] जिला नागौर

Scanned with CamScanner

राजस्व प्रार्थना पत्र 01/2020
भंवरलाल बनाम तहसीलदार जायल

न्यायालय सहायक कलक्टर, (एस.डी.ओ.) जायल जिला–नागौर

पीठासीन अधिकारी : रवीन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

प्रार्थना संख्या 01/2020

प्रार्थी – भंवरलाल दत्तक पुत्र रामदेव
जाति–जाट निवासी–कठौती तहसील जायल जिला–नागौर

बनाम

अप्रार्थी – तहसीलदार जायल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

1. श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी प्रार्थी की ओर से।
2. तहसीलदार जायल उपस्थित।

दिनांक : 04/9/2020

– : : आदेश : : –

प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय हाजा में पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी रामकरण का जायन्दा पुत्र है तथा ताउ रामदेव के गोद गया हुआ है। इस कारण सभी दस्तावेजों यथा बैंक खाता, राशनकार्ड, आधार कार्ड, परिचय पत्र, भामाशाह कार्ड तथा अन्य दस्तावेजो में प्रार्थी का नाम भंवरलाल पुत्र रामदेव ही दर्ज है। परन्तु ग्राम कठौती के खाता संख्या 449 में दर्ज खसरा नं. 983 में प्रार्थी का नाम भंवरलाल पुत्र रामकरण दर्ज है। क्योंकि भूमि प्रार्थी को उसके वास्तविक पिता रामकरण से जरिये दानपत्र प्राप्त हुआ हैं। जिसमें दानपत्र लिखने में उसके पिता का नाम वास्तविक पिता का नाम रामकरण लिख दिया, जबकि उसके दतक पिता का नाम लिखा जाना चाहिऐ था। इतने समय तक इस नाम से कोई परेशानी नहीं आ रही थी तथा सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा था।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)

04/9/2020
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

हस्तगत प्रकरण में अंकित भूमि प्रार्थी की ही खातेदारी की भूमि है, जिसमें प्रार्थी का नाम शुद्ध किये जाने से किसी अन्य व्यक्ति का हित प्रभावित नहीं होगा। अतः प्रार्थी का नाम ग्राम कठौती के खाता संख्या 449 में शुद्ध किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तहसीलदार जायल को जरिये सम्मन तलब किया गया। जिन्होने जरिये पत्रांक : भू.अ./2020/1140 दिनांक 03.06.2020 के रिपोर्ट प्रस्तुत कर प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में भंवरलाल पुत्र रामकरण के स्थान पर भंवरलाल दत्तक पुत्र रामदेव जाट निवासी कठौती शुद्ध किये जाने मे सहमति व्यक्त की। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.आर एक्ट की सम्पुष्टि के परिपेक्ष्य में नकल जमाबंदी ग्राम कठौती के खाता संख्या 449/84, पंजीकृत दान पत्र दिनांक 21.05.2012 की फोटो प्रति, आधारकार्ड संख्या 8133 7208 6549, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी परिचय पत्र, राशनकार्ड, भामाशाह कार्ड, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर की पास बुक की फोटो प्रति पेश की। साक्ष्य प्रार्थी बन्द की गई तथा पत्रावली वास्ते बहस हेतु नियत की गई।

बहस वकील प्रार्थी की सुनी गई। दोराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान किया तथा ग्राम कठौती तहसील जायल के खाता संख्या 449/84 में प्रार्थी नाम भंवरलाल पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी कठौती तहसील जायल के स्थान पर भंवरलाल दत्तक पुत्र रामदेव जाति जाट निवासी कठौती तहसील जायल शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत् तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाने का निवेदन किया।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेजात् ग्राम कठौती तहसील जायल की नकल जमाबंदी खाता संख्या 449/84 सम्वत् 2069–2072, में प्रार्थी का नाम भंवरलाल पुत्र रामकरण जाति जाट, देह खातेदार दर्ज है जिसके स्थान पर प्रार्थी का नाम भंवरलाल दत्तक पुत्र रामदेव तहसील जायल शुद्ध किये

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

जाने में तहसीलदार (अप्रार्थी) ने सहमति व्यक्त की है। इसी प्रकार पंजीकृत दान पत्र, आधारकार्ड संख्या 8133 7208 6549, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी परिचय पत्र, राशनकार्ड, भामाशाह कार्ड, बैंक पास बुक की फोटो प्रति से प्रार्थना पत्र की सम्पुष्टि होती है तथा अन्त में अप्रार्थी पक्षकार तहसीलदार जायल की अभिशंषा रिपोर्ट के अवलोकन से प्रथम दृष्टयां यह साबित है कि प्रार्थी भंवरलाल पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी कठौती तहसील जायल एवं भंवरलाल दत्तक पुत्र रामेदव जाति जाट निवासी कठौती तहसील जायल दोनो एक ही व्यक्ति है। जिसका नाम दान पत्र में सहवन से गलत दर्ज किया गया है।

अतः प्रार्थी का नाम ग्राम कठौती तहसील जायल की जमाबंदी सम्वत् 2069'2072 खाता संख्या 449/84 में खातेदार भंवरलाल पुत्र रामकरण के स्थान पर भंवरलाल दत्तक पुत्र रामदेव जाति जाट निवासी कठौती तहसील जायल दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

— : : आदेश : : —

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे ग्राम कठौती तहसील जायल के खाता संख्या 449/84 में दर्ज खसरा नं. 983 में खातेदार कृषक भंवरलाल पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी कठौती तहसील जायल के स्थान पर भंवरलाल दत्तक पुत्र रामदेव जाति जाट निवासी कठौती तहसील जायल शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 04/9/2020 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), जायल

04/9/2020
(रवीन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, जायल

Scanned with CamScanner